<u>न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)</u> (पीठासीन अधिकारी-कमलेश कुमार इटावदिया)

<u>व्य.वाद प्र. क्रमांक 70ए / 2017</u> संस्थापन दिनांक :-04.04.2017

- गयाबाई बेवा चांगों, उम्र–55 वर्ष,
 निवासी–मिलानपुर तह. व जिला बैतूल।
- संगीता पत्नि श्री संतोष चरपे, उम्र–38 वर्ष, निवासी–बिरूल बाजार, तह. मुलताई, जिला बैतूल म.प्र.।
- आशा पिल्न उमेश घोरसे, उम्र—35 वर्ष, निवासी—मानिकराव घोरसे के मकान में, रेल्वे पानी की टंकी, शास्त्री वार्ड, पांढुर्णा, तह. पांढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा म.प्र.।
- 4. मंदा पत्नि नवनीत बारमासे, उम्र—31 वर्ष, निवासी— बैतूल बाजार, तह. व जिला बैतूल।<u>वादीगण।</u>

(विरुद्ध)

- बाबू अलोने वल्द फगन्या अलोने, उम्र–65 वर्ष,
 निवासी– आरूल(मिलानपुर) तह. व जिला बैतूल।
- 2. सेवंती घोरसे पत्नि भगवंत राव, उम्र—35 वर्ष, निवासी— बरारीपुरा छिन्दवाड़ा, तह. छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाडा म.प्र.।
- पंछी बनकर पत्नि शेषू, उम्र–32 वर्ष,
 निवासी–एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, बैतूल बाजार,
 तह. व जिला बैतूल ।
- 4. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर बैतूल।प्रितवादीगण।

_ः(आदेश)ः:–

(आज दिनांक 06-05-2017 को पारित किया गया)

- 1— इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा—151 व्यप्रसं. प्रस्तुति दिनांक 25.04.2017, का निराकरण किया जा रहा है।
- वादीगण की ओर से उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्होंने प्रतिवादी पक्ष के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। ग्राम आरूल स्थित वादग्रस्त संपत्ति से संबंधित भूमि खसरा नम्बर–355 रकबा 2.020 हेक्टेयर सावित्री बाई व गयाबाई के द्वारा प्रतिवादी कमांक-1 बाबू को जोतने के लिए 40,000 रूपये व पांच बोरे गेंहू प्रतिवर्ष के हिसाब से ठेके पर दी है। बाबू के साथ उसका लड़का रवि भी रहता है, वे दोनों वादग्रस्त भूमि पर खेती करते हैं। बाबू व रवि ने गयाबाई तथा सावित्रीबाई को पिछले दो साल से ठेके के 80,000 रूपये व 10 बोरे गेंहू नहीं दिये। सावित्री बाई की मृत्यु होने के बाद गयाबाई की देखरेख वादीगण दो-तीन वर्षों से कर रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादी बाबू को उक्त भूमि आगे के वर्ष हेतु ठेके पर नहीं दिया तथा वे स्वयं खेती करना चाहते हैं। परंतु बाबू उक्त भूमि पर स्वयं खेती करना चाहता है जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त भूमि पर कुंआ है जिस पर सावित्री बाई के नाम से 5 हार्स पावर की विद्युत मोटर का कनेक्शन है। प्रतिवादी बाबू विवादित खसरा नम्बर—355 जिसमें पूर्व दिशा में एक पूराना मकान है, को तोड़कर प्रतिवादी बाबू नया मकान बनवा रहा है। उक्त वादीगण के मकान को तोड़ने का प्रतिवादी बाबू का कोई अधिकार नहीं है और न ही उसे नवनिर्माण कार्य करने का अधिकार है। यदि प्रतिवादी ने पुराने मकान को तोड़कर उसके स्थान पर नया निर्माण कर लिया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति

होगी। प्रतिवादी बाबू ने मकान के नवनिर्माण हेतु चार फीट उंची दीवार बना ली है तथा वह दिन रात निर्माण कर रहा है। प्रतिवादी बाबू को उक्त खसरा नम्बर—355 की दक्षिण वाली जमीन वसीयत में दी थी, परंतु वह वहां मकान नहीं बना रहा है। वादीगण अब प्रतिवादी बाबू को उक्त जमीन ठेके पर नहीं देना चाहते हैं तथा स्वयं खेती करना चाहते हैं। यदि प्रतिवादी ने वादीगण को उक्त भूमि पर खेती नहीं करने दी तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भरणपोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। प्रतिवादी को उक्त विवादित भूमि में खेती करने तथा मकान तोड़कर नवनिर्माण करने से रोका जाए। वादीगण का वाद प्रथमदृष्ट्या है एवं सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है। उक्त आधार पर वादीगण ने प्रतिवादी पक्ष के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया है।

3— प्रतिवादी क्रमांक—1 बाबू ने आवेदन का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक—1 ग्राम आरूल स्थित सर्व नम्बर—355 रकबा 2.020 हेक्टेयर की भूमि में पिछले 40—45 वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त भूमि पर मकान बनाकर परिवार के साथ निवास भी कर रहा है तथा खेती कर परिवार का भरणपोषण करता है। सावित्रीबाई प्रतिवादी क्रमांक—1 के पास उसकी मृत्यु होने तक निवासरत रही है। मृत्यु होने के बाद समस्त क्रियाकर्म भी प्रतिवादी क्रमांक—1 द्वारा किए गए हैं। उक्त भूमि को प्रतिवादी ठेके पर नहीं जोत रहा है, बल्कि वह सावित्री के पुत्र के नाते स्वामी की हैसियत से भूमि पर खेती कर रहा है। कुंए पर प्रतिवादी क्रमांक—1 ने वर्तमान में तीन वर्षीय गन्ने की फसल बोई है। वादीगण ने सावित्रीबाई की कभी भी देखरेख व भरणपोषण नहीं किया। पिछले 40—45 वर्षों से प्रतिवादी क्रमांक—1 ही सावित्रीबाई के पुत्र की हैसियत से भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है। विद्युत कनेक्शन का बिल एवं नहर से सिंचाई का शुल्क भी प्रतिवादी कई वर्षों विद्युत कनेक्शन का बिल एवं नहर से सिंचाई का शुल्क भी प्रतिवादी कई वर्षों

से निरंतर अदा कर रहा है। भूमि सर्वे नम्बर—355 में बने मकान में भी प्रतिवादी क्रमांक—1 निवास कर रहा है। वह उक्त भूमि पर नवनिर्माण नहीं कर रहा, बिल्क कई वर्षों पूर्व का मकान बना है। प्रतिवादी द्वारा पुराने मकान की रिपेयरिंग एवं कुछ नया हिस्सा बनाया जा रहा है, परंतु धन की कमी के कारण निर्माण बंद है। उक्त विवादित भूमि पर वादीगण का कोई अधिकार नहीं है और न ही उन्हें भूमि पर काश्त करने का अधिकार है। वादीगण कई वर्षों से ग्राम आरूल नहीं आए हैं। संपूर्ण 5 एकड़ भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक—1 काबिज होकर खेती कर रहा है। इस पर कभी भी वादीगण का आधिपत्य नहीं रहा है और न ही उक्त भूमि उनके स्वत्व में रही है। वादीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होना संभावित नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है।

4— विशेष कथन में प्रतिवादी कमांक—1 ने निवेदन किया कि सावित्री बाई बेवा चांगो ने दिनांक 23.05.2009 को सर्वे नम्बर—355 में से 2 एकड़ जमीन प्रतिवादी कमांक—1 को वसीयत की है। वादी ने भी अपने वादपत्र में व्यक्त किया है कि वसीयत दिनांक 02.02.2009 के अनुसार ग्राम आरूल की 2 एकड़ जमीन प्रतिवादी कमांक—1 को सावित्रीबाई ने वसीयत की है। वसीयत दिनांक 04.07.2009 के अनुसार सर्वे नम्बर—355 रकबा 2.020 हेक्टेयर में से 1/3 हिस्सा तथा ग्राम सोहागपुर की भूमि सर्वे नम्बर 317/5 रकबा 3.197 हेक्टेयर एवं मिलानपुर का मकान जबावकर्ता/प्रतिवादी कमाक—1 को वसीयत के माध्यम से दिया गया है। मृतक चांगो को सावित्रीबाई से कोई औलाद नहीं थी। चांगों के जीवित रहने के दौरान ही चांगो व सावित्री ने प्रतिवादी कमांक—1 को गोद पुत्र मानकर अपने पास रखा व पालन पोषण किया। चांगो की मृत्यु सावित्रीबाई की मृत्यु से कई वर्ष पूर्व हो चुकी है। उसकी मृत्यु के पश्चात् समस्त किया कर्म पुत्र बतौर प्रतिवादी कमांक—1 के द्वारा किए तथा सावित्री बाई

का भरणपोषण भी किया गया। सावित्रीबाई समय—समय पर वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक—2 व 3 के घर आया जाया करती थी जो कि चांगो की प्रथम पित्न थी। सावित्रीबाई के जीवित रहने के दौरान चांगो गयाबाई को घर लेकर आया था। सावित्रीबाई की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हुई। उसका अंतिम संस्कार व समस्त कियाकर्म पुत्र के नाते प्रतिवादी क्रमांक—1 द्वारा किए गए। चांगो को गयाबाई से तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई, उसका कोई पुत्र नहीं है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जावे। जबाव के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक—1 बाबू ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर जबाव में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया है। 5— वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं:—

- 1. क्या वादीगण का प्रकरण प्रथमदृष्ट्या सुनवाई योग्य है?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है?
- 3. क्या वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी क्रमांक—1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित नहीं की गयी तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी?

-:: <u>सकारण निष्कर्ष</u>::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 से 3:-

- 6— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के उद्देश्य से उपरोक्त विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण एक साथ किया जा रहा है।
- 7— वादीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में मंदा पित नवनीत बारमासे का शपथपत्र प्रस्तुत कर आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन किया है। वादीगण ने अपने समर्थन में वादग्रस्त भूमि से संबंधित किस्तबंदी खतौनी व

6

खसरा वर्ष 2016—17 प्रस्तुत किए हैं। जिनमें भूमि सर्वे नम्बर 317/15 रकबा 3. 197 हेक्टेयर भूमि तथा भूमि सर्वे क्रमांक 115/4 व 115/5 कुल रकबा 1.214 हेक्टेयर सावित्रीबाई पित चांगो का नाम दर्ज होना उल्लेखित है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत अन्य खसरा व खतौनी की प्रति अनुसार सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टेयर भूमि लक्ष्मी बेवा नत्थू व सावित्री पित चांगो के नाम से दर्ज होना उल्लेखित है। इस प्रकार वादीगण की ओर से की ओर से प्रस्तुत भू—अधिकार ऋण पुस्तिका के अनुसार सर्वे क्मांक—115/4 व 115/5 की भूमि सावित्रीबाई के नाम से व सर्वे क्मांक—355 रकबा 2.020 हेक्टर भूमि लक्ष्मीबाई व सावित्रीबाई के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

- 8— वादीगण ने अपने समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 12.03.77 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसके अनुसार भूमि सर्वे—317 में से 7.90 एकड़ भूमि चांगो द्वारा क्रय की। इसी प्रकार वादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 16.05.79 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार भूमि सर्वे नम्बर—115 में से तीन एकड़ भूमि सावित्री बाई द्वारा क्रय की गयी, परंतु उक्त भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 355 से संबंधित नहीं है।
- 9— वादीगण ने अपने समर्थन में भू—अधिकार ऋण पुस्तिका की प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार भूमि सर्वे नम्बर 355 रकबा 2.020 हेक्टर भूमि लक्ष्मीबाई व सावित्रीबाई के नाम से दर्ज है। वादीगण द्वारा यह अभिवचन किया गया है कि सावित्रीबाई ने आरूल स्थित 2 एकड़ भूमि प्रतिवादी बाबू को वसीयत की। उक्त संबंध में प्रतिवादी ने भी अपने जबाव के समर्थन में वसीयतनामा दिनांक 23.05.2009 प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि सर्वे नम्बर 355 की भूमि में से 2 एकड़ भूमि बाबू को वसीयत के माध्यम से प्राप्त हुई। अभिलेख पर वसीयतनामा दिनांक 02.02.2009, 4.07.2009 व 23.05.2009 उपलब्ध है। वादीगण ने दिनांक 23.05.2009 को निष्पादित वसीयतनामा को आक्षेपित किया

है, परंतु अभिलेख पर उपलब्ध वसीयतनामा विधिवत् निष्पादित है या नहीं एवं उनके आधार पर किस व्यक्ति को कितनी संपत्ति प्राप्त हुई, उसका विनिश्चिय उभयपक्ष की साक्ष्य पर और गुणदोष पर ही हो सकता है। परंतु सर्वे नम्बर 355 की 2 एकड़ भूमि प्रतिवादी बाबू को सावित्री ने वसीयत की। उक्त 2 एकड़ भूमि पर बाबू का आधिपत्य होना वादीगण ने कहा है। वादीगण ने आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि प्रतिवादी बाबू वादीगण के आधिपत्य वाले मकान को तोडकर उसके स्थान पर अन्य स्थान पर नव निर्माण करना चाहता है। उक्त संबंध में प्रतिवादी बाबू ने कहा कि वह 40-45 वर्ष पुराने मकान का सुधार कार्य कर रहा था तथा उसके पास अन्य कुछ नवनिर्माण कर रहा है। वादीगण ने फोटोग्राफ प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उक्त फोटोग्राफ में दर्शित मकान व नवनिर्मित भाग प्रतिवादी अवैध रूप से वादीगण के आधिपत्य वाली भूमि पर निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। परंतु प्रतिवादी बाबू को तथाकथित फोटोग्राफ में दर्शित स्थान और मकान वसीयत नामा के माध्यम से सावित्री बाई ने प्रदान नहीं किया हो, ऐसी साक्ष्य इस प्रक्रम पर वादीगण ने प्रस्तुत नहीं की है। अर्थात् प्रतिवादी बाबू उसे वसीयत के आधार पर प्राप्त भूमि के अतिरिक्त या भिन्न वादीगण के आधिपत्य वाले स्थान पर निर्माण करने का प्रयास कर रहा हो ऐसा उपलब्ध दस्तावेज व शपथपत्र के आधार पर प्रकट नहीं होता है।

10— सावित्रीबाई द्वारा अपनी संपत्ति प्रतिवादी बाबू व अन्य व्यक्तियों को वसीयत के आधार पर दिया जाना उभय पक्ष ने कहा है। प्रतिवादी बाबू ने सर्वे नम्बर 355 में से 2 एकड़ भूमि वसीयतनामा के आधार पर प्राप्त हुई है। प्रतिवादी बाबू द्वारा वादीगण के आधिपत्य के किसी मकान को तोड़फोड़कर वादीगण के आधिपत्य या उनके स्वत्व की भूमि पर निर्माण किया जा रहा है ऐसा इस प्रक्रम पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता। अर्थात् प्रतिवादी बाबू के किसी कार्य से वादीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रकट नहीं

होता है। वादीगण उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उनका प्रकरण प्रथमदृष्ट्या सुनवाई योग्य होना प्रमाणित करने में असफल रहे हैं एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। उक्तानुसार वादीगण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 3 को अपने पक्ष में एवं प्रतिवादी क्रमांक—1 के विरुद्ध प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

- 11— परिणामस्वरूप वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा—151 व्यप्रसं. स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।
- 12— इस आवेदन पत्र का व्यय प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय पारित आदेशानुसार देय होगा। आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,

सही— (कमलेश कुमार इटावदिया) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1 बैतूल (म.प्र.) दिनांक—06.05.2017

दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही— (कमलेश कुमार इटावदिया) प्रथम व्यवहार न्याया.वर्ग—1 बैतूल (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।